



# HAMIRPUR POLICE



थाना कोतवाली मौदहा

दिनांक 09.02.2024

## अभियुक्त के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही/प्रभावी पैरवी के क्रम में न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा थाना कोतवाली मौदहा गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित/जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में अपराधी अजमत उल्ला पुत्र मोहम्मद इसराईल उर्फ मोहम्मद इस्माईल उर्फ बच्चू निवासी ग्राम नरायच थाना मौदहा , जनपद हमीरपुर अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

### जिलाबदर किये गए अपराधी का विवरण:-

1) अजमत उल्ला पुत्र मोहम्मद इसराईल उर्फ मोहम्मद इस्माईल उर्फ बच्चू निवासी ग्राम नरायच थाना मौदहा , जनपद हमीरपुर को दिनांक 23.01.2024 से 06 माह के लिए जिलाबदर किया गया है।